21

क्रम-संख्या–22

संख्या 165/इक्कीस––4 (3)–73

प्रेषक,

श्री सतीश चन्द्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, मण्डलों के आयुक्त, जिलाधिकारी तथा
अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 3 अप्रैल, 1973।

विषय––भारत सरकार से हिन्दी में पत्र-व्यवहार।

महोदय,

आपका ध्यान भाषा विभाग के पत्र संख्या 1355/इक्कीस–3 (9)–71, दिनांक 27 अगस्त, 1971 की ओर (सुगम निर्देश के लिये प्रतिलिपि संलग्न है) आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें आपसे अनुरोध किया गया था कि जहां तक भारत सरकार से पत्र-व्यवहार का सम्बन्ध है सभी पत्र हमेशा हिन्दी में भेजे जायं और यदि कहीं भाषा के कारण भारत सरकार में किसी पत्र पर तुरन्त कार्यवाही न होने की आशंका हो तो मूल पत्र हिन्दी में ही जाय पर साथ ही उसका अंग्रेजी अनुवाद संलग्न कर दिया जाय।

2––भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या 110181/1172 रा0भा0 (सात), दिनांक 30 दिसम्बर, 1972 में (सुगम निर्देश के लिये प्रतिलिपि संलग्न है) अपने इस निर्णय को दोहराया है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों के साथ मूल रूप से किये गये सारे पत्र-व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग किया जायगा। उन्होंने यह भी कहा है कि तकनीकी और कानूनी मामलों में सम्बन्धित अर्द्ध-सरकारी पत्रों व सभी राज्य सरकारों को सम्बोधित परिपत्रों के संबंध में हिन्दी भाषी क्षेत्रों को और उन राज्यों को जिन्होंने केन्द्रीय सरकार के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने का निश्चय किया है, हिन्दी में ही पत्र भेजे जायें।

3––देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी इस प्रदेश की राजभाषा है। अतएव आप से अपेक्षा है कि भारत सरकार से पत्र-व्यवहार में सदैव हिन्दी का ही प्रयोग किया जाय। तकनीकी और कानूनी सम्बन्धी मामलों में भी पत्र हिन्दी में ही भेजे जायं, और यदि आवश्यक जान पड़े तो उनके साथ अंग्रेजी अनुवाद संलग्न कर दिया जाय, किन्तु प्रत्येक दिशा में मूल पत्र हिन्दी में ही भेजा जाय। देखने में आया है कि भारत सरकार को यदा-कदा पत्र अंग्रेजी में भेजे जाते हैं जो शासन की भाषा नीति के प्रतिकूल हैं।

4––अतएव अनुरोध है कि उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय और भारत सरकार को पत्र सदैव हिन्दी में भेजे जायें।

भवदीय,
सतीश चन्द्र,
मुख्य सचिव।